

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 6999-7020

दिनांक: 23-10-12

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 11.10.2012 (मुख्य सचिव महोदय की आईडी संख्या एफ- 12004869 से अनुमोदित) द्वारा नियमित कर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5
सहायक लेखाधिकारी				
1	माणक चन्द जैन	16-07-12 to 28-08-12		निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर
लेखाकार				
2	कैलाश चन्द शर्मा	14-06-12 to 27-08-12		निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर
3	रमाकान्त शर्मा	06-07-12 to 27-08-12		कोषालय, सवाईमाधोपुर
4	राजेंद्र प्रसाद	11-07-12 to 27-08-12		आर. यू. आई.डी.पी, भरतपुर
5	तार सिंह	16-07-12 to 27-08-12		जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूनावड़ (श्रीगंगानगर)
6	फतेह सिंह	23-07-12 to 27-08-12		निदेशालय कोष एवं लेखा, राज, जयपुर
क0लेखाकार				
7	बृजेश कुमार गुप्ता	13-06-12 to 27-08-12		संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, भरतपुर
8	राकेश कुमार गोड	07-06-12 to 27-08-12		उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर
9	अरुण कुमार शर्मा	19-06-12 to 31-08-12		निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर
10	हमीद अली कुरेशी	11-06-12 to 27-08-12		उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, झुन्झनू

(वीरबाला जोशी)

निदेशक

दिनांक: 23-10-12

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 6999-7020
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष

भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।

- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें
- प्रभारी, एनआईसी वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- डेस्क आफिसर कार्मिक(अलेसे-प्रथम/द्वितीय/लेखा-प्रशासन)
- श्री

कार्यालय- सहायक लेखाधिकारी/ लेखाकार/ क0लेखाकार

निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।

- निजी सहायक, निदेशक
- निजी पत्रावली

निदेशक (कार्मिक-II)